30/03/16	पत्रावली पेश हुई। दावा वादी डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नियम के बाद दाखिल दफ्तर हो। सम्बन्धित [illegible] भी [signature] उपखण्ड अधिकारी करौली (राज0)

डिक्री मुकदमा इब्तादाई
(औ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम करौली व इजलास

उनवान

ठा0 जगन्नाथ जी महाराज विराजमान मूर्ति मंदिर जगन्नाथ जी महाराज फूटा कोट करौली जरिये मोहनजी मंदिर

1. राजू
2. कमलेश

} पिसरान बाबूलाल कौम ब्राहमण निवासी फूटा कोट करौली तहसील व जिला करौली राज0

–वादी

बनाम

1. केदार पुत्र बटुआ राम (पिलवाराम) ब्राहमण निवासी करौली (फौत)
   1/1. विष्णु पुत्र स्व0 केदार
   1/2. ब्रहमा पुत्र स्व0 केदार
   1/3. मनोज पुत्र स्व0 केदार
   1/4. लड्डू पुत्र स्व0 केदार
2. लखपत पुत्र कौंदाराम जाति महाजन निवासी करौली(फौत)
   2/1. प्रमोद
   2/2. जगदीश
   2/3. अशोक
   2/4. धनश्याम
3. लच्छी पुत्र रामजीलाल जाति महाजन निवासी सामनाथ खिडकिया करौली तहसील व जिला करौली राज0
4. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील करौली

–प्रतिवादीगण

वाद पत्र 88, 188 आर टी एक्ट

मुकदमा नं. 44/02

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी **श्री श्याम सुन्दर शर्मा**, एडवोकेट मिनजानिब मुदई रूबरू **श्री संतोष कुमार शर्मा**, एडवोकेट मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अतः दावा वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है। वादी को वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 4870 रकबा 5 बिस्वा कस्बा करौली पटवार हल्का नंबर 9 तहसील करौली का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी नंबर 1 ता 3 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वह वादग्रस्त आराजी में कोई तामीर नहीं करे और भूमि को मुन्तकिल नहीं करें। निर्णय की प्रमाणित प्रति पालनार्थ तहसीलदार, करौली को भिजवायी जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निज ..... मुबलिग ..... बाबत ..... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद
निज बगरह .....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ..... का अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 20/3/26 को सन् 2026 को जारी की गई।

मुहर

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

मुदई	रूपया	पैसे	मुददायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प बजह सबूत			महन्ताना अर्जी		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

नोटः–इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली(राज0)

पीठासीन अधिकारी प्रेमराज मीना, उपखण्ड अधिकारी, करौली

मु0न0:- 44 / 02 तारीख रजु- 23.03.02

उनवान

ठा0 जगन्नाथ जी महाराज विराजमान मूर्ति मंदिर जगन्नाथ जी महाराज फूटा कोट करौली जरिये मोहनजी मंदिर

1. राजू } पिसरान बाबूलाल कौम ब्राहमण निवासी फूटा कोट करौली
2. कमलेश } तहसील व जिला करौली राज0

–वादी

बनाम

1. केदार पुत्र बटुआ राम (पिलवाराम) ब्राहमण निवासी करौली (फौत)
   1/1. विष्णु पुत्र स्व0 केदार
   1/2. ब्रहमा पुत्र स्व0 केदार
   1/3. मनोज पुत्र स्व0 केदार
   1/4. लड्डू पुत्र स्व0 केदार
2. लखपत पुत्र कौंदाराम जाति महाजन निवासी करौली(फौत)
   2/1. प्रमोद
   2/2. जगदीश
   2/3. अशोक
   2/4. धनश्याम
3. लच्छी पुत्र रामजीलाल जाति महाजन निवासी सामनाथ खिडकिया करौली तहसील व जिला करौली राज0
4. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील करौली

–प्रतिवादीगण

वाद पत्र 88, 188 आर टी एक्ट

–::निर्णय::– दिनांक :– 30/3/26

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि कस्बा करौली में आराजी खसरा नंबर 4867 ठाकुर जी श्री जगन्नाथ जी की खातेदारी व कब्जा काश्त की है। जिसको जमाबंदी सेटलमेंट संवत् 2015 सबूतन पेश है। वादी ठाकुर जी जगन्नाथ जी परपीच्यूअल माईनर है। जिसके मौतमी पहले भौरूलाल थे और उनकी मृत्यु के बाद बाबूलाल व गिर्राज मौतमी मंदिर है। प्रतिवादीगण इस मंदिर की जमीन पर दिनांक 20.3.02 से नाजायज तौर पर मकान तामीर कर रहे है नींव खोद दी है व

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

पत्थर डलवा दिये है मजदूर लगा दिये है जो ठाकुर जी के हितो के विरूद्ध है और प्रतिवादीगण को हुक्म दवाभी पाबंद किया जाना आवश्यक है। विनाय मुखासमत दिनांक 20.3.2002 को प्रतिवादीगण द्वारा जमीन पर मदाखलत करने पर पैदा हुई। सेटलमेंट जमाबंदी ठाकुर जी जगन्नाथ जी के नाम दर्ज है लेकिन वाकी जमाबंदीयो मे ठाकुर जी के नाम नही हुई व हम पुजारियो के नाम कर दी गई है अतः दूरस्त कर ठाकुर जी श्री जगन्नाथ जी के नाम कर दी जावे। जमीन ठाकुरजी जगन्नाथ जी के नाम की जावे एवं प्रतिवादीगण को पाबंद किया जावे कि ठाकुर श्री जगन्नाथ जी को बेदखल नही किया जावे नही किया जावे और कोई तामीर इस जमीन पर नही करे और मुन्तकिल नही करें। खर्चा मुकदमा दिलाया जावें। दीगर दादरसी करीने इंसाफ हो अता फरमाई जावें। अंत दावा वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीग द्वारा जबाव मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर कथन किया है कि आराजी खसरा नं0 4867 वाके कस्बा करौली में स्थित होना सही है। जो आराजी सायनाथ खिडकिया के पास मध्य शहर में स्थित है। जिसका कुल रकवा मात्र 5 विस्वा विस्वा है। जिस आराजी के ई गिर्द व इसके कुछ हिस्से में कोफी अर्से पूर्व आवासीय मकानियत बन चुकी है। कभी भी यह आराजी ठाकुर जी की खुद काश्त मेन ही रही है। ना कभी इस आराजी पर आज तक कोई काश्त हुई है। ना ही इस आराजी में किसी प्रकार के कोई हकूक ठाकुर जी के निहित है। ठाकुर जी का परपीच्यूअल माईनर होना सही है। एवं ठाकुर जी की सेवा पूजा बाबूलाल गिर्राज प्रसाद का पहले करना सही है। कानूनन हम वादी पाबंद कराने का अधिकारी नही है ना ही इन्हें दावा दायर करने का हक है। वादी सही हालत उज्रात मजीद में विस्तृत रूप में दर्ज है। कोई विनाय दावा हमारे खिलाफ वादी के हक में पैदा नही हुआ है। दावा को सुनने का अधिकार माननीय न्यायालय न्यायालय को नही है बल्कि सिविल न्यायालयों को है। किसी प्रकार की घोषणा वादी अपने नाम की कराने का अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

नही है। जिस बाबत् सही हालात उज्रात मजीद में दर्ज है। कोई दादरसी वादी प्राप्त करने का अधिकारी माननीय न्यायालय से नही है। और दावा खारिज होने योग्य है। वादी ठाकुर जी की ओर से यह दावा मय दर.टी.आई. के बाबू लाल व गिर्राज प्रसाद ने सही तथ्यों को छिपाते हुये बिना शुद्व हस्ता के प्रस्तुत किया है। इन्होनें जानबूझ कर इस आराजी का रकवा तक दावे व दर0 में दर्ज नही किया है। ना ही हित ठाकुर जी के अनुकूल है। बल्कि उक्त जमीन को हडपने की बदनियति इनके दिल में शुरू से रही है। इस जमीन में दायरी दावे से पूर्व ही काफी निर्माण हो चुका है। इस जमीन के चारों तरफ घनी आबादी है जो आबादी पचासों वर्ष पूर्व की बनी हुई है। इसलिये इस जगह की दिनो दिन कीमत बढ रही है इसी बर विनाय बदयान्ती इन्होने यह दावा मय दर0 टी.आई. के सही तथ्यों को छिपा कर हम प्रति. से उक्त हमीन को छीनने की नीयत से प्रस्तुत किया है। जो हर हालत में खारिज होने योग्य है। दिनांक 8.7.1982 को स्वयं बाबूलाल, गिर्राज प्रसाद व इनकी मां बादामी बेवा भौरूलाल ने ठाकुर जी के राग भोग के इन्तजाम हेतू 25000 रू. में हम प्रति. को केशवचंद पुत्र रामविलास महाजन निवासी करौली को ठाकुर जी के राग भोग हेतु जायज रूपयों की आवश्यकता के वास्ते विक्रय कर कब्जा करा दिया था जिस आश्य की लिखापढी उसी रोज 10 रू. के नोनज्यू. स्टाम्प पर तहरीर तकमील करा कर स्वयं बाबूलाल गिर्राज प्रसाद ने अपने हस्ताक्षर कर दिये वा बादामी देवी ने अपने निशानी अंगुठा करके एवं गवाही गवाहान कर दिये बादामी देवी ने अपनी निशानी अंगुठा करके एवं गवाही गवाहान मे शिम्भूसिंह व मदनमोहन की करा कर हमारे सुपुर्द कर दी जिस लिखापढी की छायां प्रति इस जवाब दावे के साथ प्रस्तुत की जा रही है। इस प्रकार उक्त जमीन पर हम प्रति. का वाहैसियत खातेदार काश्तकार योम खरीद से आज तक वा जानकारी वादी कब्जा चला आ रहा है और द्वारा इस जमीन में आवश्यक निर्माण कार्य भी आवश्यकतानुसार समय पर करवाया जाता रहा है। इस प्रकार समस्त हक हकूक इस आराजी बावत् हम में निहित है। जिस आराजी को छीनने की नीयत से वादी द्वारा जानबूझ कर बदनियती पूर्ण आशय

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

है। यह दावा सही तथ्यों को छिपाते हुये प्रस्तुत किया है। जो दावा हर हालत में खारिज होने योग्य है। वादीगण झगडालू किस्म के कानून से निडर व्यक्ति है और वह लट्ठ की ताकत से ठाकुर जी की आड में इस जमीन को बावजूद विक्रय किये जाने के हम से छीनना चाहते है। इसी बार विनाय बदयान्ती यह हमारे निर्माण कार्य में बाधक हो रहे है। और इस जमीन मे से कुछ जमीन अपने निजी कार्य हेतु लेने का प्रस्ताव किया जिस बाबत् हमने मना किया तो वह नाराज हो गये और पूर्व लिखे इकरारनामा की हुई दी तो उससे भी मुकर गये और 29.3.2 को ऐलानियां धमकी दी कि अब इस जमीन में तुम्हें निर्माण कार्य नही करेन देंगें व झूठे दावा झगडा करके इस जमीन को ठाकुर जी के नाम करायेंगे। व कब्जे में व्यवधान करेंगें। जिस अनाधिकृत कार्यवाही से हकूक प्रति. को आघात है और अपूर्णीय क्षति है। इसलिये प्रति. जरिये पी.आई. वादी को उक्त अनाधिकृत कृत्य ना करने हेतू पाबंद कराने के अधिकारी है। यह वजह नालिस है। जिसके लिये वह काउन्टर क्लेम पेश है। जो अंदर म्याद है व काबिल तमाअत अदालत हाजा है, जिस पर नियमानुसार कोर्ट फीस चस्पा है। जिस काउन्टर क्लेम पेश करने हेतु विनाय दावा 29.3.02 को वा दावे के संम्मन प्राप्त होने पर वा मुकाम करौली पैदा हुई। अंत में दाव वादी खारिज किये जाने व काउन्टर क्लेम डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

काउन्टर क्लेम का वादीगण की ओर से जबाव पेश कर कथन किया है कि जमीन ठाकुर जी के खुद काश्त की है। श्रीमानजी को अख्तयार समाहत का हक हासिल नही गलत है और स्वीकार नही है। खातेदारी की जमीन का दावा राजस्व न्यायालय रेवेन्यू अदालत द्वारा ही सुना जा सकता है। प्रतिवादीगण वादी के विरूद्ध कोई घोषणा कराने के मुश्तहक नही है। वादीगण का हित ठाकुर जी के अनुकूल है। और ठाकुर जी के हितो को प्रोटेक्ट करने के लिये ही दावा किया गया है। प्रतिवादीगण का यह कहना गलत है कि यह जमीन आबादी में गयी। यह जमीन 8.7.82 को ठाकुर जी के राग भोग को बेची गयी हो कानूनन ऐसा बेचान भी नही हो सकता है। प्रतिवादीगण ने गलत तथ्य दर्ज किय है। प्रतिवादीगण के कोई हक हकूक खातेदारी नही हो

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

सकते है। प्रतिवादी द्वारा काउन्टर क्लेम गलत पेश किया है जो चलने योग्य नही है। अंत में दावा वादी डिक्री किया जावे।

वादी व प्रतिवादीगण के अभिवचनों के आधार पर निम्नांकित विवाद्यक बिन्दू विरचित किये गये:–

1. आया विवादित भूमि खसरा नंबर 4867 कस्बा करौली वादी मंदिर के खातेदारी व कब्जे काश्त की है। वादी अपने हक में खातेदारी घोषणा करने का अधिकारी है।

––वादी

2. आया विवादित भूमि खसरा नंबर 4867 कस्बा करौली वादी मंदिर के खातेदारी व कब्जे काश्त की है। वादी प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी है।

––वादी

3. आया विवादित भूमि प्रतिवादीगण के खातेदारी व कब्जे की है प्रतिवादीगण वादी को जरिये काउन्टर क्लेम स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी है।

––प्रतिवादीगण

4. आया दावा वादी न्यायालय के सुनवाई योग्य नहीं है।

––प्रतिवादीगण

5. अनुतोष :–

वाद विवाद्यक बिन्दू वादीगण साक्ष्य ली गई। वादीगण ने अपनी मौखिक साक्ष्य में पीडब्ल्यू–1 राजू के बयान लेखबद्व कराये है एवं दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबंदी सेंटलमेंट प्रदर्श–1 व वर्तमान जमाबंदी संवत 2056–59 प्रदर्श–2, गवाह मोहनलाल पीडब्ल्यू–2 का बयान कराया है। साक्ष्य वादीगण समाप्त कर बंद की गई।

प्रतिवादीगण द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने पर दिनांक 24.03.2026 को साक्ष्य प्रतिवादीगण बंद की गई।

बहस वकील वादी व प्रतिवादीगण सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील वादी का बहस में कथन है कि कस्बा करौली में आराजी खसरा नंबर 4867 ठाकुर जी श्री जगन्नाथ जी की खातेदारी व कब्जा काश्त की है। जिसको जमाबंदी सेटलमेंट संवत् 2015 सबूतन पेश है। वादी ठाकुर जी जगन्नाथ जी परपीच्यूअल माईनर है। जिसके मौतमी पहले भौरूलाल थे और उनकी मृत्यु के बाद बाबूलाल व गिर्राज मौतमी मंदिर है। प्रतिवादीगण इस मंदिर की जमीन पर दिनांक 20.3.

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज.)

02 से नाजायज तौर पर मकान तामीर कर रहे है नींव खोद दी है व पत्थर डलवा दिये है मजदूर लगा दिये है जो ठाकुर जी के हितो के विरूद्ध है और प्रतिवादीगण को हुक्म दवामी पाबंद किया जाना आवश्यक है। विनाय मुखारामत दिनांक 20.3.2002 को प्रतिवादीगण द्वारा जमीन पर मदाखलत करने पर पैदा हुई। सेटलमेंट जमाबंदी ठाकुर जी जगन्नाथ जी के नाम दर्ज है लेकिन वाकी जमाबंदीयों में ठाकुर जी के नाम नही हुई व हम पुजारियों के नाम कर दी गई है अतः दूरस्त कर ठाकुर जी श्री जगन्नाथ जी के नाम कर दी जावें। जमीन ठाकुरजी जगन्नाथ जी के नाम की जावे एवं प्रतिवादीगण को पाबंद किया जावे कि ठाकुर श्री जगन्नाथ जी को बेदखल नही किया जावे नही किया जावे और कोई तामीर इस जमीन पर नही करे और मुन्तकिल नही करें। खर्चा मुकदमा दिलाया जावें। दीगर दादरसी करीने इंसाफ हो अता फरमाई जावें। अंत में दावा वादी डिक्री किया जावे।

वकील प्रतिवादी का बहस में कथन है कि आराजी खसरा नं0 4867 वाके कस्बा करौली में स्थित होना सही है। जो आराजी सायनाथ खिडकिया के पास मध्य शहर में स्थित है। जिसका कुल रकवा मात्र 5 विस्वा विस्वा है। जिस आराजी के ई गिर्द व इसके कुछ हिस्से में कोफी अर्से पूर्व आवासीय मकानियत बन चुकी है। कभी भी यह आराजी ठाकुर जी की खुद काश्त मेन ही रही है। ना कभी इस आराजी पर आज तक कोई काश्त हुई है। ना ही इस आराजी में किसी प्रकार के कोई हकूक ठाकुर जी के निहित है। ठाकुर जी का परपीच्यूअल माईनर होना सही है। एवं ठाकुर जी की सेवा पूजा बाबूलाल गिर्राज प्रसाद का पहले करना सही है। कानूनन हम वादी पाबंद कराने का अधिकारी नही है ना ही इन्हें दावा दायर करने का हक है। वादी सही हालत उज्रात मजीद में विस्तृत रूप में दर्ज है। कोई विनाय दावा हमारे खिलाफ वादी के हक में पैदा नही हुआ है। दावा को सुनने का अधिकार माननीय न्यायालय न्यायालय को नही है बल्कि सिविल न्यायालयों को है। किसी प्रकार की घोषणा वादी अपने नाम की कराने का अधिकारी नही है। जिस बाबत् सही हालात उज्रात मजीद में दर्ज है। कोई दादरसी वादी प्राप्त करने का अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

माननीय न्यायालय से नही है। और दावा खारिज होने योग्य है। वादी ठाकुर जी की ओर से यह दावा मय दर.टी.आई. के बाबू लाल व गिर्राज प्रसाद ने सही तथ्यों को छिपाते हुये बिना शुद्व हस्ता के प्रस्तुत किया है। इन्होनें जानबूझ कर इस आराजी का रकवा तक दावे व दर0 में दर्ज नही किया है। ना ही हित ठाकुर जी के अनुकूल है। बल्कि उक्त जमीन को हडपने की बदनियति इनके दिल में शुरू से रही है। इस जमीन में दायरी दावे से पूर्व ही काफी निर्माण हो चुका है। इस जमीन के चारों तरफ घनी आबादी है जो आबादी पचासों वर्ष पूर्व की बनी हुई है। इसलिये इस जगह की दिनो दिन कीमत बढ रही है इसी बर विनाय बदयान्ती इन्होने यह दावा मय दर0 टी.आई. के सही तथ्यों को छिपा कर हम प्रति. से उक्त हमीन को छीनने की नीयत से प्रस्तुत किया है। जो हर हालत में खारिज होने योग्य है। दिनांक 8.7.1982 को स्वयं बाबूलाल, गिर्राज प्रसाद व इनकी मां बादामी बेवा भौरूलाल ने ठाकुर जी के राग भोग के इन्तजाम हेतू 25000 रू. में हम प्रति. को केशवचंद पुत्र रामविलास महाजन निवासी करौली को ठाकुर जी के राग भोग हेतु जायज रूपयों की आवश्यकता के वास्ते विक्रय कर कब्जा करा दिया था जिस आश्य की लिखापढी उसी रोज 10 रू. के नोनज्यू. स्टाम्प पर तहरीर तकमील करा कर स्वयं बाबूलाल गिर्राज प्रसाद ने अपने हस्ताक्षर कर दिये वा बादामी देवी ने अपने निशानी अंगुठा करके एवं गवाही गवाहान कर दिये बादामी देवी ने अपनी निशानी अंगुठा करके एवं गवाही गवाहान मे शिम्भूसिंह व मदनमोहन की करा कर हमारे सुपुर्द कर दी जिस लिखापढी की छायां प्रति इस जवाब दावे के साथ प्रस्तुत की जा रही है। इस प्रकार उक्त जमीन पर हम प्रति. का वाहैसियत खातेदार काश्तकार योम खरीद से आज तक वा जानकारी वादी कब्जा चला आ रहा है और द्वारा इस जमीन में आवश्यक निर्माण कार्य भी आवश्यकतानुसार समय पर करवाया जाता रहा है। इस प्रकार समस्त हक हकूक इस आराजी बावत् हम में निहित है। जिस आराजी को छीनने की नीयत से वादी द्वारा जानबूझ कर बदनियती पूर्ण आशय है। यह दावा सही तथ्यों को छिपाते हुये प्रस्तुत किया है। जो दावा हर

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

हालत मे खारिज होने योग्य है। वादीगण झगडालू किस्म के कानून से निडर व्यक्ति है और वह लट्ठ की ताकत से ठाकुर जी की आड में इस जमीन को बावजूद विक्रय किये जाने के हम से छीनना चाहते है। इसी बार विनाय बदयान्ती यह हमारे निर्माण कार्य में बाधक हो रहे है। और इस जमीन मे से कुछ जमीन अपने निजी कार्य हेतु लेने का प्रस्ताव किया जिस बाबत् हमने मना किया तो वह नाराज हो गये और पूर्व लिखे इकरारनामा की हुई दी तो उससे भी मुकर गये और 29.3.2 को ऐलानियां धमकी दी कि अब इस जमीन में तुम्हें निर्माण कार्य नही करेन देंगें व झूठे दावा झगडा करके इस जमीन को ठाकुर जी के नाम करायेंगे। व कब्जे में व्यवधान करेंगें। जिस अनाधिकृत कार्यवाही से हकूक प्रति. को आघात है और अपूर्णीय क्षति है। इसलिये प्रति. जरिये पी.आई. वादी को उक्त अनाधिकृत कृत्य ना करने हेतू पाबंद कराने के अधिकारी है। यह वजह नालिस है। जिसके लिये वह काउन्टर क्लेम पेश है। जो अंदर म्याद है व काबिल तमाअत अदालत हाजा है, जिस पर नियमानुसार कोर्ट फीस चस्पा है। जिस काउन्टर क्लेम पेश करने हेतु विनाय दावा 29.3.02 को वा दावे के संम्मन प्राप्त होने पर वा मुकाम करौली पैदा हुई। अंत में दाव वादी खारिज किये जाने व काउन्टर क्लेम डिक्री किया जावे का निवेदन किया है।

बहस वकील उभयपक्ष का मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत साक्ष्य व दस्तावेज जमाबंदी का अवलोकन किया गया। प्रकरण में तनकीवार विवेचन किया जाना उचित प्रतीत होता है जो निम्न प्रकार है:–

विवाद्यक संख्या 1 व 2 एक–दूसरे के पूरक है। जिनका एक साथ विवेचन किया जाना उचित है। वादीगण ने इन विवाद्यक के संबंध में वादी पीडब्ल्यू–1 राजू का बयान लेखबद्व कराया है एवं दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबंदी संवत 2015 प्रदर्श–1 प्रस्तुत की है। जिसमें भूमि वादी मंदिर के खुदकाश्त खातेदारी में दर्ज है। जिसका प्रतिवादीगण ने किसी प्रकार का खण्डन मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य से नहीं किया है। भूमि वादी मंदिर की खुदकाश्त काबिज होने से वादी

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

मंदिर खातेदार काश्तकार है। अतः विवाद्यक संख्या 1 व 2 वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्व तय कर निर्णित किये जाते है।

विवाद्यक संख्या 3 व 4 को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। प्रतिवादीगण ने इन विवाद्यकों के संबंध में किसी प्रकार की कोई साक्ष्य पत्रावली में प्रस्तुत नहीं की है। प्रतिवादीगण इन विवाद्यकों को साबित करने में असफल रहे है। अतः विवाद्यक संख्या 3 व 4 प्रतिवादीगण के विरूद्व वादी के पक्ष में तय कर निर्णित किये जाते है।

विवाद्यक संख्या 5 अनुतोष है। विवाद्यक संख्या 1 व 2 के विवेचन से वादग्रस्त भूमि वादी मंदिर के खुदकाश्त खातेदारी की होना जमाबंदी संवत 2015 प्रदर्श–1 से साबित है। जिसका कोई खण्डन प्रतिवादीगण द्वारा किसी प्रकार की साक्ष्य से नहीं किया गया है। भूमि वादी मंदिर की खातेदारी व कब्जेकाश्त की है। वादी मंदिर के हक में खातेदारी घोषणा किया जाना एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित प्रतीत होता है। दावा वादी डिक्री किये जाने योग्य है।

अतः दावा वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है। वादी को वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 4870 रकबा 5 बिस्वा कस्बा करौली पटवार हल्का नंबर 9 तहसील करौली का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी नंबर 1 ता 3 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वह वादग्रस्त आराजी में कोई तामीर नहीं करे और भूमि को मुन्तकिल नहीं करें। निर्णय की प्रमाणित प्रति पालनार्थ तहसीलदार, करौली को भिजवायी जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30/3/26 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(प्रेमराज मीना)
उपखण्ड अधिकारी,
करौली